

तेलंगाना में वशिषाधिकार प्राप्त समूहों के भूमिआवंटन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने तेलंगाना सरकार द्वारा [संसद सदस्यों \(MP\)](#), [वधिन सभा सदस्यों \(MLA\)](#), सविलि सेवकों और पत्रकारों वाली सहकारी समितियों को भूमिआवंटन को [संवधान के अनुच्छेद 14](#) के तहत **समानता का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया है।**

- सर्वोच्च न्यायालय ने **रियायती दरों** पर वशिषाधिकार प्राप्त समूहों को भूमिआवंटन की आलोचना की, जिसमें **हाशयि पर पड़े समुदायों** की अपेक्षा पहले से ही वशिषाधिकार प्राप्त लोगों को तरज़ीह दी गई।
 - न्यायालय ने चेतावनी दी कि दुर्लभ भूमि संसाधनों के इस तरह के आवंटन से **असमानता पैदा होती है और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में** इसके व्यापक आर्थिक नहितार्थ होते हैं।
- नरिणय में इस नीति को **सत्ता का दुरुपयोग** बताया गया, जिससे नीति निर्माताओं और उनके साथियों को लाभ मलि रहा है, जबकि **"योग्य वर्गों"** की सहायता के नाम पर **सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग** किया जा रहा है।
 - **सत्ता का दुरुपयोग** कसिी **वधायी नकियाय** द्वारा की गई ऐसी कार्यवाहियों को संदर्भति करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में **संवैधानिक सीमाओं** या सदिधांतों का उल्लंघन करती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को याद दलियाया कि **राज्य नागरिकों के लयि ट्रस्ट के रूप में संसाधन रखता है** तथा उसके कार्यों का उद्देश्य चुनदि समूहों को लाभ पहुँचाने के बजाय **जनहति में** होना चाहयि।

और पढ़ें: [मौलिक अधिकार \(भाग- 1\)](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/sc-quashes-telangana-land-allotment-to-privileged-groups>